

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांक:- 39

/ न०पा०प०आ० / 2021-22

दिनांक:- 07/04/2021

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्य को ठेके पर दिये जाने हेतु ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु दिनांक 15/04/2021 तक नियमानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक 16/04/2021 के पश्चात् निर्माण कार्य को ठेके उन्हीं ठेकेदारों को दिया जायेगा जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण हो चुका होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण के समय निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे की पंजीकरण/नवीनीकरण पर विचार किया जा सके।

## पंजीकरण हेतु/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें :-

1. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हैसियत प्रमाण पत्र।
  2. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया चरित्र प्रमाण पत्र।
  3. व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र (जी०एस०टी० नम्बर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं अर्द्धवत्ता प्रमाण पत्र) आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है।
  4. आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
  5. श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  5. किसी कार्यदायी संस्था से कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए रु० 10.00 लाख की।
  6. पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ वार कॉउन्सिल का सदस्य न हो एवं नगर पालिका के सदस्य/कर्मचारी के सगे सम्बन्धी न हो का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में किसी प्रकार हलफनामा मान्य नहीं होगा।
  8. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के पक्ष में रु० 30,000.00 की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में प्रतिभूत जमा करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन फार्म पर भी अंकित करना होगा।
  9. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दिनांक \_\_\_\_\_ तक जमा किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
  10. प्रपत्रों की जाँच होने के उपरान्त स्वीकृति के बाद ही ठेकेदारों का पंजीयन/नवीनीकरण किया जायेगा।
  11. यदि किसी पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है या गलत सूचना दी गयी है तो ज्ञात होने पर उसकी जमानत जब्त करते हुए पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
  12. किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  13. पंजीयन शुल्क रु० 15,000.00 तथा नवीनीकरण शुल्क रु० 10,000.00 पालिका कोष में जमा होगा।
  14. समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/संशोधनों का पालन करना होगा।
  15. पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदक यदि दो या दो से अधिक साझेदारी वाली फर्म है तो फर्म के नाम का हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आवेदक यदि एकल स्वाभित्व फर्म है तो ट्रेड नेम (फर्म का नाम) अथवा लीगल नेम (व्यक्ति विशेष का नाम) से निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- उक्त तिथि के पश्चात् पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-22में समक्ष अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

शैला  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़